

# बिहार गजट

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1939 (श0) (सं0 पटना 1064) पटना, मंगलवार, 14 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 14 नवम्बर 2017

अधिसूचना संख्या 45/2017-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 275, दिनांक 14 नवम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, का 2017) 2017 बिहार अधिनियम (12 (इस अधिसूचना में एतिशमन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उन पर लगाए गए राज्य कर से उस हद तक छूट देते हैं जिस जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक होते हैं बशर्तें कि उक्त सारणी सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों-

#### सारणी

क्रम सं.	संस्थानों का नाम	वस्तुओं का विवरण	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक कोष से	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी	(i) इन वस्तओं की आपूर्ति
	सहायता प्राप्त संस्थान या	उपकरण, उपस्कर, औजार	निम्नलिखित को या के लिए

या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर या राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जो अस्पताल से भिन्न हों।

(कम्प्यूटर समेत);

- (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जें, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से);
- (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स,

माइक्रोफिसेस;

(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जो कि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो। की जाती हो -(क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या परमाण् <u>কর্</u>जা विभाग रक्षा या अनुसंधान विभाग संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अनुसंधान संस्थान जिनको सार्वजनिक कोष से वित्त पोषित किया जाता हो और ऐसा संस्थान कम से उप सचिव, भारत सरकार या उप सचिव, राज्य सरकार या उप सचिव, संघ राज्य के स्तर के अधिकारी. संबंधित विभाग से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के समय

(ख) कोई संस्थान जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं अन्संधान में विभाग पंजीकृत हो और संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो:

आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता

हो: या

(ii) ऐसा संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को

			प्रत्येक मामले में संस्थान के
			प्रमुख से प्राप्त इस आशय का
			प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे की उक्त
			उक्त माल की जरूरत
			अनुसंधान के उद्देश्य के लिए
			<del>ह</del> ै;
			(iii) जीवित जंतुओं की
			आपूर्ति के मामले में, प्रयोग
			के उद्देश्य के लिए, ऐसा
			संस्थान आपूर्ति के समय
			आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान
			के प्रमुख से प्राप्त इस आशय
			का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता
			हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु
			की अनुसंधान के लिए
			जरूरत है और साथ ही वह
			प्राणियों पर प्रयोग के
			नियंत्रण और निरीक्षण के
			उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा
			जारी एक अनापत्ति प्रमाण
			पत्र भी संलग्न करता हो।
2.	अस्पताल से भिन्न	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी	
	अनुसंधान संस्थान	उपकरण, उपस्कर, औजार	
		(कम्प्यूटर समेत);	अनुसंधान विभाग में
		(ख) सहायक वस्तुएं,	_
		कलपूर्जें, उपभोग वाली वस्तुएं	• •
		और जीवित पशु (प्रयोग के	- •
		<u>उद्देश्य से</u> );	प्रमुख से प्राप्त इस आशय का
		(ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर	
		काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली	9 1
		मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड	
		मेगनेटिंग टेप्स,	· .
		माइक्रोफिल्म्स,	और इसका प्रयोग उक्त
		माइक्रोफिसेस;	उद्देश्य के लिए ही किया

(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स जाएगा; का सकल मूल्य जो कि किसी (İİ) जीवित जंत्ओं की संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता आपूर्ति के मामले में, प्रयोग है किसी एक वित्तीय वर्ष में के उद्देश्य के लिए, ऐसा 50.000 रु से अधिक न हो। संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्त्त करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतू की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह पाणियों पर पयोग नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो। (2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संस्थान के द्वारा स्थापित किए जाने के 5 वर्ष की अवधि तो तक स्थानांतरित किया जाएगा न ही बेचा जाएगा। (क) वैज्ञानिक और तकनीकी (i) यह संस्थान, आपूर्ति के केंद्र सरकार और राज्य 3. सरकारों के विभाग और उपकरण, उपस्कर, औजार आपूर्तिकर्ता संस्थान के प्रमुख से प्राप्त प्रयोगशालाएं, अस्पताल (कम्प्यूटर समेत); से भिन्न (ख) सहायक वस्त्र्एं, इस आशय का प्रमाण पत्र, कलपूर्जें, उपभोग वाली वस्तुएं प्रत्येक मामले में प्रस्तुत और जीवित पशु (प्रयोग के करता हो कि उक्त वस्त् अन्संधान के उद्देश्य के लिए उद्देश्य से): (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर आवश्यक है और इसका काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड ही किया जाएगा; मेगनेटिंग (İİ) टेप्स, जीवित जंतुओं की

		माइक्रोफिल्म्स,	आपूर्ति के मामले में, प्रयोग
		माइक्रोफिसेस;	के उद्देश्य के लिए, ऐसा
		(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स	संस्थान आपूर्ति के समय
		का सकल मूल्य जो कि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता	**
		है किसी एक वित्तीय वर्ष में	के प्रमुख से प्राप्त इस आशय
		50,000 रु से अधिक न हो।	का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता
			हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु
			की अनुसंधान के लिए
			जरूरत है और साथ ही वह
			प्राणियों पर प्रयोग के
			नियंत्रण और निरीक्षण के
			उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा
			जारी एक अनापति प्रमाण
			पत्र भी संलग्न करता हो।
4.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी	(i) ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति
	(कैंसर संस्थान)	उपकरण, उपस्कर, औजार	भारत सरकार के विज्ञान एवं
		(कम्प्यूटर समेत);	अनुसंधान विभाग में
		(ख) सहायक वस्तुएं,	पंजीकृत क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को
		कलपूर्जें, उपभोग वाली वस्तुएं	की जा रही हो और ऐसा
		और जीवित पशु (प्रयोग के	संस्थान कम से कम भारत
		उद्देश्य से);	सरकार के उप सचिव या
		(ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर	राज्य सरकार के उप सचिव
		काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली	या संघ राज्य के उप सचिव,
		मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड	संबंधित विभाग के, स्तर के
		मेगनेटिंग टेप्स,	अधिकारी से प्राप्त
		माइक्रोफिल्म्स,	प्रमाण पत्र विशिष्ट माल की
		माइक्रोफिसेस;	आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता
			को प्रस्तुत करता हो;
			(ii) यह संस्थान, आपूर्ति
			के समय आपूर्तिकर्ता को
			संस्थान के प्रमुख से
			प्राप्त इस आशय का <b>प्रमाण</b>
			पत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत
			करता हो कि उक्त वस्त्
<u> </u>			

अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है: (İİİ) जीवित जंत्ओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्त्त करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति -

- (क) "सार्वजनिक कोष से पोषित वित्त संस्थान" से अभिप्राय ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिनके व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता हो;
- (ख) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिनकी स्थापना या निगमन किसी केंद्र केंद्र राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो और इसमें शामिल हैं -
- (i) ऐसा कोई संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;
- (İİ) ऐसा कोई संस्थान जिसे संसद के द्वारा किसी कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित घोषित किया गया हो;
- (İİİ) कोई कालेज जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जाता हो या उससे संबद्ध हो;
- (ग) "प्रम्ख" से अभिप्राय-
- (İ) किसी संस्थान के मामले में उसके निदेशक से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (ii) किसी विश्वविद्यालय के मामले में उसके रजिस्ट्रार से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो):

- (iii) किसी कालेज के मामले में उसके प्रधानाचार्य से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो):
- (घ) "अस्पताल" में शामिल है ऐसे कोई भी संस्थान, सेंटर, न्यास, समिति, संघ, प्रयोगशाला या मैटरनिटी होम जो कि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक सेवा प्रदान करते हों।
- 2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत होगी।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017—45)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

#### 14 नवम्बर 2017

एस०ओ० २७६, एस०ओ० २७५, दिनांक १४ नवम्बर २०१७ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> [(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017—45)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 14<sup>th</sup> November 2017

### Notification No. 45/2017-State Tax (Rate)

S.O. 275, dated the 14<sup>th</sup> November 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, from the so much of the State tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount calculated at the rate of 2.5 percent., when supplied to the institutions specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table-

**Table** 

S. No.	Name of the Institutions	<b>Description of the goods</b>	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Public funded research	(a) Scientific and	
	institution other than a	technical instruments,	to or for –
	hospital or a University	apparatus, equipment	
	or an Indian Institute of	(including computers);	(a) a public funded
	Technology or Indian		research institution under
	Institute of Science,	(b) accessories, parts,	the administrative control
	Bangalore or a National	consumables and live	of the Department of
	Institute Technology/	animals (experimental	Space or Department of
	Regional Engineering	purpose);	Atomic Energy or the
	College		Defence Research
		(c) computer software,	Development
		Compact Disc-Read Only	Organisation of the
		Memory (CD-ROM),	Government of India and

recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches;

(d)Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in financial year.

such institution producesa certificate to that effect from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union Territory in the concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; or

- (b) an institution registered with the Government of India in Department the Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods;
- (ii) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (iii) In the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier

			from the Head of the
			Institution that the live
			animals are required for
			research purposes and
			enclose a no objection
			certificate issued by the
			Committee for the
			Purpose of Control and
			Supervision of
2	Descerab institution	(a) Scientific and	Experiments on Animals.  (1) The institution is
2.	Research institution, other than a hospital		(1) The institution is registered with the
	other than a nospital	technical instruments, apparatus, equipment	Government of India in
		(including computers);	the Department of
		(b) accessories, parts,	Scientific and Research,
		consumables and live	which-
		animals (experimental	
		purpose);	(i) produces, at the time of
		(c) computer software,	supply, a certificate to the
		Compact Disc-Read Only	supplier from the head of
		Memory (CD-ROM),	the institution, in each
		recorded magnetic tapes,	case, certifying that the
		microfilms, microfiches;	said goods are essential
		(d) Prototypes, the	for research purposes and
		aggregate value of	will be used for stated
		prototypes received by an	purpose only;
		institution does not	
		exceed fifty thousand	(ii) in the case of supply
		rupees in a financial year.	of live animals for
			experimental purposes,
			the institution produces, at
			the time of supply, a
			certificate to the supplier from the Head of the
			Institution that the live
			animals are required for
			research purposes and
			enclose a no objection
			certificate issued by the
			Committee for the
			Purpose of Control and
			Supervision of
			Experiments on Animals.
			(2) The goods falling
			under (1) above shall not
			be transferred or sold by
			the institution for a period
			of five years from the date
			of installation.

3.	Departments and laboratories of the Central Government and State Governments, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	(i) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;  (ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
4.	Regional Cancer Centre (Cancer Institute)	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches.	(i) The goods are supplied to the Regional Cancer Centre registered with the Government of India, in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods;  (ii) the institution produces, at the time of supply, a certificate to the

supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (iii) in case of supply of animals live for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for purposes and research enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.

Explanation. - For the purposes of this notification, the expression, -

- (a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per-cent. of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;
- (b) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes -
  - (i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a deemed University for the purposes of this Act;
  - (ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;
  - (iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;
  - (c) "Head" means -
    - (i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);
    - (ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);

- (iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);
- (d) "hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 15<sup>th</sup>day of November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—45)]
By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1064-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>